दिनाक 10.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–10/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोरखपुर/थाना बेलीपार

- **पुलिस कार्यवाही में 09 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 9 हजार 870 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने चाँदी के आभूषण, 02 बण्डल तार, 01 गैस सलेण्डर,**
- **02 बैट्री, मोटर साइकिल के पार्ट्स, 01 इनवर्टर व बैटरी, 03 मोटर साइकिल की बैट्री**
- **05 अवैध तमंचा, 07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **04 मोटर साइकिल, 10 मोबाइल फोन, आदि बरामद**

दिनांक 10.02.2021 को थाना बेलीपार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्दा घाट के पास से पुलिस कार्यवाही में 09 शातिर अभियुक्तों 1–चन्द्रकेश उर्फ गोली, 2–राजन, 3–राहुल कुमार, 4–मोनू कुमार, 5–विष्णु, 6–वीर बहादुर, 7–विश्वजीत कुमार उर्फ चिपटा उर्फ अनुज, 8–अनिरूद्ध, 9–राकेश को गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 9 हजार 870 रूपये नगद, चोरी के सोने चाँदी के आभूषण, 02 बण्डल तार, 01 गैस सलेण्डर, 02 बैट्री, मोटर साइकिल के पार्ट्स, 01 इनवर्टर व बैटरी, 03 मोटर साइकिल की बैट्री, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा .303 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 10 मोबाइल फोन, 04 मोटर साइकिल आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल जनपद गोरखपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रो में हुई लूट, नकबजनी, चोरी के 11 मुकदमो से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बेलीपार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— चन्द्रकेश उर्फ गोली निवासी रामनगर करजहा पसियान टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

2— राजन निवासी जंगल चौरी तिरसठ टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

3— राहुल कुमार निवासी रामनगर करजहा कुरमौल थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

4— मोनू कुमार निवासी जंगल केवटलिया बेलवार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

5— विष्णु निवासी रायगंज बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

6— वीर बहादुर निवासी जंगल केवटलिया बेलवार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

7— विश्वजीत कुमार उर्फ चिपटा उर्फ अनुज निवासी जंगल बेलवार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

8— अनिरूद्ध निवासी रामनगर करजहा घोसी टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

9— राकेश निवासी जंगल केवटलिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1— लूट के 9 हजार 870 रूपये नगद

2— चोरी के सोने चाँदी के आभूषण,

3— 02 बण्डल तार, 01 गैस सलेण्डर, 02 बैट्री,

4— मोटर साइकिल के पार्ट्स,

5— 01 इनवर्टर व बैटरी,

6— 03 मोटर साइकिल की बैट्री

7— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस

8— 01 अवैध तमंचा .303 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस

9— 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस

10— 10 मोबाइल फोन

11— 04 मोटर साइकिल आदि

जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी

- **पुलिस कार्यवाही में पकौड़ी गैंग के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 09 मैगजीन इन्सास, 180 कारतूस इन्सास**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस**
- **01 टैम्पो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 10.02.2021 को थाना नारखी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिलर के पास से बदमाशों की घेरा बन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के दौरान 03 शातिर अभियुक्तों 1—अजय उर्फ पकौडी, 2—हनी उर्फ प्रदीप कुमार, 3—रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मैगजीन इन्सास, 180 कारतूस इन्सास, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस, 01 टैम्पो वाहन आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, दिनांक 07/08—02—2021 की रात्रि में एनएच—2 बाईपास के किनारे खड़ी सेना के प्राइवेट गाड़ी से अभियुक्तों द्वारा 09 मैगजीन इन्सास व 180 कारतूस चोरी की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नारखी पर मु0अ0सं0 53 / 2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर

घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद 09 मैगजीन इन्सास सरकारी व 180 कारतूस इन्सास उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ पकौड़ी (गिरोह का सरगना) के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, आगरा, इटावा के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग एवं अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, हत्या, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 5 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नारखी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– अजय उर्फ पकौडी निवासी भट्टा वाली गली कोटला रोड़ थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

2– हनी उर्फ प्रदीप कुमार निवासी खरसैला थाना जैथरा जनपद एटा, हालपता सत्यनगर बगीची टंकी के पास कोटला रोड़ थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

3– रवि निवासी भोलपुर थाना एकदिल जनपद इटावा निवासी रानीनगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1– चोरी की 09 मैगजीन इन्सास,

2– चोरी के 180 कारतूस इन्सास

3– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस

4– 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस

5– 01 टैम्पो वाहन आदि

जनपद शाहजहाँपुर/थाना बण्डा

- **पुलिस कार्यवाही में 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **40 हजार रूपये नगद,**
- **नकली नोटो के 02 बण्डल,**
- **01 पीली धातु की मूर्ति,**
- **06 अवैध तमंचे, 12 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 बुलेरो गाड़ी,**
- **01 मोटर साइकिल**

दिनांक 09.02.2021 की रात्रि थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लुकमान बहेडा मोड़ के पास से पुलिस कार्यवाही में पैसा दुगना करने की बात कहकर धोखाधड़ी/जालसाजी कर रूपयों की ठगी करने वाले 06 शातिर अभियुक्तों 1–रामकिशन 2–शान्ति स्वरूप 3–राजेश कुमार 4–सर्वेश कुमार 5–संजीव कुमार 6–राकेश कुमार उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर ठगी के 40 हजार रूपये नगद, नकली नोटो के 02 बण्डल, 01 पीली धातु की मूर्ति, 06 अवैध तमंचे, 12 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 बुलेरो गाड़ी, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–रामकिशन निवासी विलसन्डा रोड कस्बा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

2–शान्ति स्वरूप निवासी भौरखेडा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

3–राजेश कुमार निवासी मीरपुर हीरपुर थाना बिलसन्डा जनपद पीलीभीत हाल पता मोहल्ला गायत्रीनगर कस्बा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

4–सर्वेश कुमार निवासी ग्राम खजुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर।

5—संजीव कुमार निवासी सिनोली थाना छपरोली जनपद बागपत।

6—राकेश कुमार उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला गदियाना थाना सदर बाजार जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी :—

1—40 हजार रूपये नगद(ठगी के)

2—नकली नोटो के 02 बण्डल,

3—01 पीली धातु की मूर्ति,

4—06 अवैध तमंचे, 12 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

5—01 बुलेरो गाड़ी,

6—01 मोटर साइकिल।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 82 एलईडी, 200 एलईडी स्टैण्ड**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.02.2021 को थाना कोतवाली बागपत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नैथला मोड़ के पास से पुलिस कार्यवाही में 06 शातिर अभियुक्त 1—प्रदीप कुमार उर्फ चिन्टू, 2—उत्तम, 3—जसवन्त, 4—अमित, 5—छोटू, 6—गोबिन्दा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 82 एलईडी, 200 एलईडी स्टैण्ड, चोरी की 03 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो जनपद बागपत व आस –पास के जनपदो व पंजाब , दिल्ली , हरियाणा आदि प्रान्तो से ट्रक ,

आयसर कैन्टर तथा मोटर साइकिले चोरी व लूट कर, उन्हे दिल्ली में ले जाकर बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप के विरूद्ध जनपद बागपत व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— प्रदीप कुमार उर्फ चिंटू निवासी काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2— उत्तम निवासी वैली थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

3— जसवंत निवासी वैली थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

4— अनित निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।

5— छोटू निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।

6— गोविन्दा निवासी अकबरपुर माजरा थाना अलीपुर दिल्ली।

बरामदगी

1— चोरी की 82 एलईडी, 200 एलईडी स्टैण्ड

2— चोरी की 03 मोटर साइकिल

3— 04 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि

जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने व चाँदी के टुकडे**
- **01 लाख रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 10.02.2021 को थाना मण्डी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हनुमान चौक से शक्लापुरी रोड के पास से 02 शातिर चोर 1—राजेश , 2 — उस्मान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने व चाँदी के टुकडे, 01 लाख रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। दिनांक 28—12—2020 को थाना मण्डी क्षेत्रान्तर्गत माणिक की गलाई की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 542/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— राजेश निवासी बुड्ढाखेड़ा अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

2— उस्मान निवासी मक्का बांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1— चोरी के सोने व चाँदी के टुकडे

2— 01 लाख रूपये नगद

3— 03 मोबाइल फोन

4— 01 मोटर साइकिल

जनपद प्रतापगढ़/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की 01 महिन्द्रा पिकअप,**
- **02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस,**
- **01 प्लास्टिक की नकली पिस्टल,**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 09.02.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटीएल ग्राउण्ड के पास बदमाशो की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने जान से मारने की नियम से पुलिस टीम फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा

की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सलमान 2—सचिन 3—गौरव घायल हो गये ,जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की 01 महिन्द्रा पिकअप, 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 प्लास्टिक की नकली पिस्टल, 01 कार बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0—127/2021 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। बरामद वाहन उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—सलमान निवासी पतुलकी, अन्ती का पुरवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

2—सचिन निवासी रामगढ़ी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

3—गौरव निवासी सुखपालनगर पॉचो सिद्ध, सुखपालनगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः—

1—लूट की 01 महिन्द्रा पिकअप,

2— 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस,

3— 01 प्लास्टिक की नकली पिस्टल,

4— 01 कार।

जनपद पीलीभीत/थाना पूरनपुर

02 अभियुक्त गिरफ्तार,

लूट की घटना का अनावरण,

लूट के 01 लाख 500 रूपये नगद,

02 अवैध तमंचे, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 10.02.2021 को थाना पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घुघचिहाई चौराहे के पास से 02 अभियुक्तो 1—मलकीत 2—राजा उर्फ हरविन्दर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 01 लाख 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचे, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा दिनॉकः 08.02.2021 को थाना पूरनपुर क्षेत्र में लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पर मु0अ0सं0—82/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद नगद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—मलकीत निवासी गोपालपुर थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत ।

2—राजा उर्फ हरविन्दर निवासी पौठा थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत।

बरामदगी :—

1— लूट के 01 लाख 500 रूपये नगद,

2—02 अवैध तमंचे, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/ थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल,**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 09—02—2021 की रात्रि थाना कोतवाली देहता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चोला मोड़ के पास अभियुक्त की घेराबन्दी की गयी तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आबाद

घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0—491/2020 धारा सीएस एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

आबाद निवासी गिनौरा शेख थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी:—

1—01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

2—01 मोटर साइकिल,

3— 02 मोबाइल फोन।

जनपद रामपुर/थाना बिलासपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **चोरी के सोने के आभूषण,**
- **10 हजार 500 रूपये नगद,**
- **01 किलोग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 09.02.2021 को थाना बिलासपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनिहार खेड़ा जाने वाले खडन्जा के पास से 03 अभियुक्त 1—सूरज 2—राहुल 3—शिवा को गिरफ्तार कर चोरी की कई घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के

कब्जे/निशादेही से चोरी के लाखो रूपये के सोने के आभूषण (सोने की 06 चूड़ी, सोने के 02 कंगन, सोने के 02 कडे, गले का सोने के 02 सेट, सोने 02 टाप्स, सोने की 04 अंगूठी, सोने की 02 बाली, सोने के 02 चैन) चोरी के 10 हजार 500 रूपये नगद, 01 एलसीडी व 01 किलोग्राम अवैध चरस, बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा की गयी चोरी की घटना के सम्बन्ध में दिनॉकः 26.12.2020, दिनॉकः 28.12.2020 व दिनॉकः 19.01.2021 को थाना बिलासपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तो से बरामद रूपये व आभूषण उक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—सूरज निवासी सुभाषनगर डिबडिबा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

2—राहुल निवासी तेल मिल परती कालोनी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

3—शिवा निवासी सुभाषनगर डिबडिबा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर। ।

बरामदगी :—

1—चोरी के लाखो रूपये के सोने के आभूषण (सोने की 06 चूड़ी, सोने के 02 कंगन, सोने के 02 कडे, गले का सोने के 02 सेट, सोने 02 टाप्स, सोने की 04 अंगूठी, सोने की 02 बाली, सोने के 02 चैन)

2—चोरी के 10 हजार 500 रूपये नगद,

3—01 एलसीडी

4—01 किलोग्राम अवैध चरस।

जनपद एटा/थाना मारहरा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 09.02.2021 को थाना मारहरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रतनपुर नहर पुल के पास बबूल के जंगल से पुलिस कार्यवाही में 02 वाहन चोर 1– विजय, 2– विष्णु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो जनपद एटा व आस–पास के जनपदो से मोटर साइकिल चोरी कर, उन्हे बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना मारहरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– विजय निवासी धिरामई थाना मिरहची जनपद एटा।

2– विष्णु निवासी बन्थल थाना पिलुआ जनपद एटा।

बरामदगी

1– चोरी की 09 मोटर साइकिल

2– 02 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

<u>जनपद मेरठ/ थाना लिसाडीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 लाख 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद मेरठ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जनपद मेरठ द्वारा थाना लिसाडीगेट पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में अभियुक्त अनीश को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद बदायूं/थाना कोतवाली (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 09 लाख 13 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी शकील उर्फ बाबा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 09 लाख 13 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः दि0.16.01.2021 को Dhingra motors कम्पनी के मैनेजर श्री गुरूकृपा मोदक बादशाहपुर हरियाणा को लूटकर फरार अपराधी मो0 इबरार उर्फ इमरान पुत्र मो0 आलम गिरफ्तार।

आज दिनांक 10—02—2021 को एसटीएफ उ0प्र0 को, दिनाक 16.01.2021 को समय लगभग 21.40 बजे हरियाणा के जनपद गुरूग्राम के थाना बादशाहपुर क्षेत्रान्तर्गत बेगमपुर खटोला में **Dhingra motors कम्पनी के मैनेजर श्री गुरूकृपा मोदक से लूट कर** सनसनी फैलाने वाला अपराधी मो0 इबरार उर्फ इमरान पुत्र मो0 आलम को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः—

मो0 इबरार उर्फ इमरान पुत्र मो0 आलम, निवासी दाऊदनगर, थाना व जनपद वैशाली (बिहार)

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला आजादनगर दिनांक—10. 02.2021 समय लगभग 09.00 बजे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सक्रिय एवं पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी व उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु समय—समय पर आदेश/निर्देश दिये जाते रहे हैं। इसी क्रम मे दिनांक 16—01—2021 को समय लगभग 21.40 बजे हरियाणा के जनपद गुरूग्राम के थाना बादशाहपुर क्षेत्रान्तर्गत बेगमपुर खटोला में **Dhingra motors कम्पनी के मैनेजर श्री गुरूकृपा मोदक से लूट कर** सनसनी फैलाने वाला अपराधी मो0 इबरार उर्फ इमरान पुत्र मो0 आलम जनपद गोरखपुर में छिपकर रहने की सूचना प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश शाही के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि उक्त घटना का अभियुक्त मो0 इबरार उर्फ इमरान पुत्र मो0 आलम निवासी—दाऊदनगर थाना व जनपद वैशाली बिहार) जो हरियाणा

के गुरूग्राम में **Dhingra motors** कम्पनी के मैनेजर श्री गुरूकृपा मोदक से लूट कर सनसनीखेज घटना को अन्जाम दिया था। जिसके सम्बन्ध में जनपद गुरूग्राम (हरियाणा) के थाना बादषाहपुर में मु0अ0सं0—15/2021 धारा 394, 34, 341 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त अपराधी अपराधी मो0 इबरार उर्फ इमरान मोहल्ला आजादनगर थाना गोरखनाथ के पास मौजूद है और कही जाने के फिराक में है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक सत्य प्रकाष सिंह ,उ0नि0 सूरज नाथ सिंह, उ0नि0 आलोक राय, हे0का0 यशवन्त सिंह, हे0का0 सुषील चौधरी, कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह एवं उ0नि0 मनजीत सिंह ए0एस0आई0 राजेष कुमार हे0का0 राजेष कुमार, क्राइम ब्रान्च गुरूग्राम, हरियाणा मय मुखबिर खास के साथ के थाना गोरखनाथ क्षेत्रान्तर्गत आजादनगर तिराहे के पास पहुॅचकर समय करीब 09.00 बजे उपरोक्त अपराधी मो0 इबरार उर्फ इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे मा0 न्यायलय सीजीएम गोरखपुर के समक्ष पेश कर सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गुरूग्राम हरियाणा के समक्ष पेश करने हेतु ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु गुरूग्राम हरियाणा क्राइम ब्रान्च को सुपुर्द कर भेजा गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही क्राइम ब्रान्च गुरूग्राम हरियाणा द्वारा की जायेगी।

———————